न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व वि. प्रार्थना पत्र सख्या 37/2015

मादू पुत्र श्री गिरधारी गुर्जर दत्तक पुत्र श्री मेवा जी गूर्जर जाति– गुर्जर निवासीनी–ग्राम शिवपुरी, ग्राम पंचायत नन्दवाडा तहसील– मसूदा, जिला–अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. रामदवे पुत्र श्री गिरधारी गूर्जर
2. छोटू पुत्र श्री रामदेव गूर्जर
3. गिरधारी पुत्र श्री सवाई गूर्जर
   सभी जाति – गुर्जर एवं निवासीनी–ग्राम शिवपुरी, ग्राम पंचायत नन्दवाडा तहसील– मसूदा, जिला–अजमेर

4. राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 15.09.2016

प्रार्थी ने इस प्रा0पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि–ग्राम शिवपुरी, भू.अ.नि. क्षेत्र मसूदा, जिला–अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 657 रकबा 2–19–00 से उसका 2/3 हिस्सा है जिस पर वह शांति पूर्वक कब्जे काश्त में चला आता है लेकिन अप्रार्थी सं. 01. से 03 की नियत बद हो गई है और वे प्रार्थी के हिस्से की आराजी को हडपना चाहते है अतः ताफैसला वाद के अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के अपने हिस्से की आराजी में कार्यवाही दखलंदाजी आदि से निषेध किया जावे ।

अप्रार्थी सं. 01 से 03 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार ख.नं. 421 रकबा 03–09–00 थे तथा यह अप्रार्थी सं. 3 गिरधारी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में था । जिसके सेटलमेंट में नये ख.नं. 656 रकबा 15 बिस्वा तथा 657 रकबा 02–14–00 कायम किये गये तथा बिना किसी सक्षमाधिकारी एवं न्यायालय आदेश के ख.नं. 657 रकबा 02–14–00 के स्थान पर रकबा 02–19–00 से मेवा, श्योजी पिता सवाई के नाम गलत दर्ज कर दिया गया है वर्तमान में यह आराजी गजराज वल्द श्योजी, पांची पत्नि श्योजी, मेवा वल्द सवाई के नाम दर्ज है । मेवा फोत हो गया है उसक दतक भाई है । सर्व श्री गिरधारी, मेवा व श्योजी स्व. सवाई के पुत्र थे । स्व. गिरधारी के दो पुत्र है प्रार्थी माधु व अप्रार्थी सं. 1 रामदेव है । माधू मेवा के गोद चला गया । स्व. मेवा को सवाई के भाई मोती के पुत्र धन्ना ने गोद ले लिया । इसलिए जमाबंदी सं. 2041 से 2069 में मेवा सवाई के पुत्र से किया गया अंकन गलत है । मेवा के गोद चले जाने से सवाई की किसी सम्पति में अधिकार नहीं रहे । प्रश्नगत भूमि का मालिक अप्रार्थी सं. 3 गिरधारी ही है और वही बिना रोक–टोक इस

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

पर काबिज काश्त चला आता है । प्रार्थी के इसमें कोई अधिकार नहीं है वह वाद एवं प्रा. पत्र झूठा लाया है। प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 03 के पक्ष में है । अतः प्रार्थी यदि प्रश्नगत भूमि को खुर्द–बुर्द करता है तो असुविधा एवं असहनीय क्षति अप्रार्थी सं. 03 को होगी अतः अप्रार्थी सं. 3 काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सव्यय निरस्त फर्माया जावे तथा बहक अप्रार्थी सं. 03 विरूद्ध प्रार्थी ताफैसला वाद के अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाई जाकर प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 03 की प्रश्नगत आराजी में दखलंदाजी आदि से निषेध किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई । उनके तर्क–वितर्क प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा काउन्टर क्लेम अनुसार ही रहे । बहस के परिपेक्ष में दोनों पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया । यह सही है कि ग्राम शिवपुरी की जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 26 में गिरधारी वल्द सुवाई प्रश्नगत आराजी ख.नं. 421 रकबा 03–09–00 बीघा में खातेदार दर्ज है । चौसाला मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सेटलमेंट ख.नं. 421 के हाल नं. 656 रकबा 15 बिस्वा तथा 657 रकबा 02–14–00 बीघा कायम किये गये है । वर्किंग जमाबंदी के खाता सं. 133 में ख.नं. 657 रकबा 02–14–00 मेवा वल्द श्योजी के नाम खातेदारी में लगा है । जो रोटेशन जमाबंदी संवत् 2043–46 में इसी प्रकार रिपिट किया गया है लेकिन जमाबंदी संवत् 2047 से 2052 में इसका रकबा 02–19–00 मेवा के नाम दर्ज कर दिया गया है जो आगे की रोटेशन जामबंदीयॉ संम्वत 2051–54 व 2059–62 में इस प्रकार मेवा के नाम दर्ज चला आया है । जमाबंदी सं. 2066 से 2069 के खाता सं. 45 में गजराज वल्द श्योजी पांची पत्नि श्योजी व मेवा वल्द सवाई की खातेदारी में दर्ज है । सेटलमेंट के बाद की सभी जमाबंदियों में तफावत पाई जाती है जबकि विवादित आराजी बाबत् जमाबंदी सं0 2022 से 2025 के अनुसार ही रिपीट की जानी चाहिये थे । सेटलमेंट अधिकारियों को इसमें परिवर्तन के कोई अधिकार नहीं थे । प्रकरण संवाद के निस्तारण पर प्रश्नगत भूमि बाबत् निर्णय होना है लेकिन अभिलेख की वर्तमान स्थिति एवं पूर्व की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षान के पक्ष प्रश्नगत आराजी बाबत् प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन होना पाया जाता है ।

अतः प्रार्थी पक्ष में प्रार्थना–पत्र के आधार पर तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में काउन्टर क्लेम के आधार पर उभय पक्षान को विवादित आराजी की मौके एवं राजस्व अभिलेख की स्थिति तथा प्रार्थी को हस्तातंरण आदि से ताफैसला वाद के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है । उभय पक्ष प्रश्नगत आराजी की वर्तमान स्थिति को बनाये रखे तथा किसी प्रकार से परिवर्तन आदि नहीं करे ।

आदेश आज दिनांक 15.09.2016 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:27:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: